राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 5/2016

रघुनाथ पुत्र श्री नेनगा जाति बैरवा निवासी ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...... अपीलार्थी

♠ बनाम ♠

ग्राम पंचायत मालबमोरी पंचायत समिति अन्ता जिला बारां जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत माल बमोरी तह0 मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थी

**अपील बनाराजगी इन्तकाल नं0 981 दिनांक 20.06.2011 ग्राम पंचायत माल बमोरी**

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील अपीलार्थी : श्री हरिओम प्रजापति
दायर दिनांक–06.10.2016

निर्णय दिनांक : 18.06.2018

अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालबमोरी में स्थित खाता संख्या 362 की खसरान नं0 45 रकबा 0.59 है0 खसरा नं0 48 रकबा 0.33 है0 खसरा नं0 50/1101 रकबा 0.12 है0 खसरा नं0 259 रकबा 0.32 है0 खसरा नं0 269 रकबा 0.97 है0 खसरा नं0 788 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 1463 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 1484 रकबा 0.22 है0 कुल किता 8 रकबा 3.42 है0 है। जिसमें अपीलार्थी शामलाती खातेदार दर्ज है। अपीलार्थी की पुश्तैनी शामलाती आराजी सन 2011 में उक्त खाते में अपीलार्थी का हिस्सा 1/3 दर्ज था लेकिन अपीलार्थी को कर्जा अदायगी हेतु रूपयो की जरूरत होने के कारण अपीलार्थी ने अपने हिस्सा 1/3 वां का हिस्सा 33/114 वा अर्थात सम्पूर्ण खाते का हिस्सा 33/342 रकबा 0.33 है0 का विक्रय वर्तमान शामलाती खातेदार ममता पत्नि राजेन्द्र जाति बैरवा निवासी माल बमोरी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2011 को कर दिया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2011 से इंतकाल नं0 981 दिनांक 20.06.2011 दर्ज किया गया। जिसमें अपीलार्थी के हिस्सा 1/3 का हिस्सा 33/114 दर्ज किया गया उक्त इन्तकाल नं0 981 दर्ज होने के बाद जमाबंदी में उक्त इंतकाल का अंकन कर क्रेता ममता बाई का हिस्सा 33/114 व अपीलार्थी का हिस्सा 5/114 दर्ज किया गया जो कि उक्त इंतकाल दर्ज करते समय अपीलार्थी का 1/3 का हिस्सा 33/114 ही दर्ज किया गया व सम्पूर्ण खाते का हिस्सा दर्ज नही किया जबकि विक्रय पत्र में स्पष्ट सम्पूर्ण खाते का हिस्सा 33/342 दर्ज है। जो इंतकाल नं0 981 में हिस्सा को सही दर्ज नही करने से जमाबंदी में गलत हिस्सा इन्द्राज हो रहा है जिससे इंतकाल खारिज होने योग्य है अतः ग्राम पंचायत मालबमोरी द्वारा

या इंतकाल नं0 981 दिनांक 20.06.2011 को खारिज किया जाकर अपील में वर्णित आराजी पीलार्थी का सही हिस्सा 81/342 दर्ज करने का आदेश तहसीलदा मांगरोल को दिया जावें।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 06.10.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सरपंच ग्राम पंचायत मालबमोरी आज दिनांक तक अनुपस्थित है अतः प्रतिवादी को एक्स पोर्टी करते हुए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2011 से ग्राम मालबमोरी में स्थित खाता संख्या 362 की खसरान नं0 45 रकबा 0.59 है0 खसरा नं0 48 रकबा 0.33 है0 खसरा नं0 50/1101 रकबा 0.12 है0 खसरा नं0 259 रकबा 0.32 है0 खसरा नं0 269 रकबा 0.97 है0 खसरा नं0 788 रकबा 0.01 है0 खसरा नं0 1463 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 1484 रकबा 0.22 है0 कुल किता 8 रकबा 3.42 है0 का हिस्सा 33/342 अर्थात 0.33 है0 का विक्रय किया जाना जाहिर होता है एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही इंतकाल तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु ग्राम पंचायत मालबमोरी द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल संख्या 981 दिनांक 20.06.2011 से अपीलार्थी का 1/3 का हिस्सा 33/114 ही दर्ज किया गया जो गलत प्रतीत होता है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मालबमोरी द्वारा तस्दीक किया गया इंताकल संख्या 981 दिनांक 20.06.2011 खारिज किया जाकर तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2011 के अनुसार हिस्से का निर्धारण कर पुनः इन्तकाल खोला जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मालबमोरी मजमेंआम में सुनाया गया।